उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-2/2024/159/78-1-2024-14/2024

लखनऊः दिनांक : 19 जनवरी 2024

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-142/78-1-2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के प्रस्तर-3.3 के अन्तर्गत व्यवस्था है कि नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जायेगा।

3- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में सशक्त समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

5- समिति का चार्टर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और सभी स्तरों पर निवेशकों के मुद्दों के सामयिक समाधान के सम्बन्ध में अंतर-विभागीय समन्वयन से सम्बन्धित होगा। नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनायें सशक्त समिति की अनुशंसा पर मा0 राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगी।

6- नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा नीति के विस्तार/संशोधन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

7- उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठकें आयोजित कराने की व्यवस्था की जायेगी तथा बैठकों के पूर्व वांछित सूचनायें तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2024/159(1)/78-1-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठकें आहूत कराने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

9- प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।